(ङ) पिछड़े जिलों का विकास करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान कितने नए उद्योग लगाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्रीमति कृष्णा साही): (क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 41 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी विशेष जिले/क्षेत्र का औद्योगिकीकरण मूलतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार जहां सम्भव होता है उनके प्रयास से सहायता करती है। पर्वतीय तथा दूरदराज के क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए सरकार एक परिवहन राजसहायता योजना संचालित कर रही है, जो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विकास केन्द्र योजना जिसमें चने हुए केन्द्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सृजन करके उद्योगों के छितराव की व्यवस्था है; के अधीन राज्य सरकार को 8 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं।

(ङ) वर्ष 1990–92 (मई तक) के दौरान उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के लिए जारी किये गये आशय पत्रों (एल. ओ. आई.) और औद्योगिक लाइसेंसों (आई. एल.) की संख्या नीचे दी जाती है:

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1990	74	30
1991	62	11
1992 (मई तक)	13	—

Location of a tyre manufacturing unit at Mangalagiri in Andhra Pradesh

794. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) when the letter of Intent was sanctioned to A.P.I.D.C./Government of Andhra Pradesh to set up a tyre manufacturing unit in Mangalagiri;

(b) what steps have been taken to execute the same;

(c) what are the reasons for the undue delay in this regard; and

(d) what steps have been taken to expedite the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SMT. KRISHNA SAHI): (a) A Letter of Intent for manufacture of tyres and tubes was granted to A.P.I.D.C. on 5.2.85 for Mangalagiri in Andhra Pradesh.

(b) Land for construction of the unit has been acquired and possession given to Andhra Pradesh Automobile Tyres and Tuesb Ltd.

(c) and (d) Implementation of the Licence has been delayed because arrangements for technical collaboration/know-how are yet to be tied up.

Exit Policy

795. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Inter-Ministerial Committee at the apex level has recently finalised a "brief" on the country's exit policy as per the news-item entitled "Exit Policy brief finalised" which appeared in *The Times of India*, dated June 2, 1992; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Inter-Ministerial Meetings have been held to work out modalities for operationalising the National Renewal Fund (NRF).

(b) The fund will have three major segments. The employment generation segment will provide resources for Employment Generation Schemes. The National Renewal Grant Fund will deal with the immediate requirements of labour in sick units arising from revival or closure. The third scheme namely, the Insurance Fund for employees will cater to the compensation needs in future.

796. [*Transferred to the 28th July, 1992*]

Review of new industrial/fiscal policies

797. DR. ABRAR AHMED: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to undertake further review of the new industrial and fiscal policies to enable industry to grow without hindrance;

(b) whether this review would affect the workers of the chronically sick public sector units; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) The review of industrial and fiscal policies is a continuous process and changes are made from time to time depending upon the needs of the country's economy.

मैसर्स सुजूकी और मारूति उद्योग लिमिटेड में नया समझौता

798. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की सुजूकी कंपनी ने मारूती उद्योग लिमिटेड के साथ कोई नया समझौता किया है, यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या-क्या हैं ; और

(ख) नए समझौते के अनुसार इस कंपनी का अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक कौन है तथा उसकी सेवा-शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी लोक उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) भारत के राष्ट्रपति सुजूकी मोटर कारपोरेशन (एस एम सी), तथा मारुति उद्योग लिमिटेड (एम यु एल) द्वारा आपस में 2-6-92 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए ताकि मारूती लिमिटेड में एस एम सी अपनी इक्विटी 50% तक बढा सके । एस एम सी ने 100 रु० प्रत्येक के मूल्य के 22,04,860 अतिरिक्त शेयरों के लिए अभिदान किया और शेयरों के लिए 169 रु० प्रत्येक के अधिमूल्य पर भुगतान किया । ये शेयर 20-6-92 को एस एम सी को आबंटित किए गए और इस प्रकार मारूती उद्योग लिमिटेड में एस एम सी की इक्विटी 50% तक बढ गई । एस एम सी जब कभी भी इन शेयरों को बेचती है तो इनके मूल्य निर्धारण के लिए वही फार्मुला प्रयोग में लाया जाएगा जिसका प्रयोग 269/- रुपये का मूल्य निर्धारित करते समय किया गया था । सरकार और एस एम सी दोनों बोर्ड के लिए बराबर संख्या में निदेशक नामित करेंगे और कंपनी के मुख्य कार्यपालक को एस एम सी और सरकार द्वारा बारी-बारी से नामित किया जाएगा । एक अंशकालिक अध्यक्ष भी होगा जिसे सरकार और एस एम सी बारी बारी से नामति करेंगे । एस एम सी द्वारा मुख्य कार्यपालक के रूप में नामित व्यक्ति कंपनी की 29-7-92 को होने